



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274798
CG-DL-E-25072026-274798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3930]

No. 3930]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4100(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अगस्त, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/95/2022-एमवीएल-पीटी1]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4100(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of August, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 51 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), shall come into force.

[F. No. RT-11036/95/2022-MVL-Pt.I]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.